

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	TOK-177	ऊंकार / गोकुल / टोकी	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत्।	आवेदक को कृषि आबादी गणना पत्रक क्रमांक 57 पर भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 143467 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 91 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
2	TOK-244	आसाराम / पदम / टोकी	मेरा खला टप्पर छोड़ देने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर संयुक्त रूप से अर्जित की गई कृषि भूमि एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 932 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 95 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की संपत्ति शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

3	TOK-248	लखमेशिंह / भाऊसिंह / टोकी	अर्जन कार्यवाही में सम्पत्ति छोड़े जाने बाबत्।	आवेदक को संशोधित कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 50 पर अर्जित भूमि एवं मकान कुआ, ट्यूबवेल, पाईपलाईन की मुआवजा राशि रु. 998175 एवं बी. डब्ल्यू.एल. कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 08 पर अर्जित भूमि एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 424803 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक के ख.न. 123 में स्थित संपत्ति, तार फेन्सींग, ईमली वृक्ष, ख.न. 217 में पाईप लाईन आर.सी.सी. शौच, कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं.क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
4	TOK-166	लखमेशिंह / भावसिंह / टोकी	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 22 पर अर्जित भूमि ख.न. 299 रकबा 0.24 हे. की मुआवजा राशि रु. 31134 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 14350 पर कृषि के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर राशि रु. 9350 भुगतान की गई। शेष राशि रु. 5000 ग्राम से विस्थापन पश्चात् दिया जावेगा।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान धारा 04 के बाद बना होने से शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने उद्देश्य मकान बनाया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

5	Tok-178	बागसिंह / लखेसिंह / टोकी	मेरी जमीन को सिंचित करने बाबत।	आवेदक को संशोधित कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 43 पर अर्जित कृषि भूमि रकबा 2.97 ए. सिंचित, 3.60 ए असिंचित मुआवजा राशि रु. 567135 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 44 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में अनुसार अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक तैयार किया गया। आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
---	---------	--------------------------	--------------------------------	--	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

1	TOK-347	राधेश्याम पटेल / राजाराम / टोकी	पाईप लाईन का मुआवजा देने बाबत्।	आवेदक को पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर भूमि एवं कुए की मुआवजा राशि रु. 160932 निर्धारित कर भुगतान की गई	—	आवेदक की पाईप लाईन कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं की गई है।	
2	TOK-158	बलीराम / गोकुल / टोकी	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 47 पर संयुक्त रूप से मुआवजा राशि रु. 125639 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
3	TOK-84	बाबुसिंह / कालूसिंह / टोकी	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 58 पर भूमि, फलदार वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 129757 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 49 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई। निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

4	TOK-85	हरेसिंह / राजाराम / टोकी	मोटर पम्प की खोली छोड़ देने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की भूमि ख.न. 75/2 रकबा 0.03 हे. शामिल नहीं होने के कारण अवाई मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
5	TOK-141	अंतरसिंह / केशरे सिंह / टोकी	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 42 पर संयुक्त रूप से भूमि, कुआ, पाईप लाईन की मुआवजा राशि रु. 381691 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव के अनुसार आवेदक की पाईप लाईन का अर्जन कर मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	
6	TOK-340	कलाबाई / दयाराम / टोकी	खेत की पाईपलाईन छूटने बाबत्।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 31 पर भूमि, कुआ, वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 690509 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदिका की पाईपलाईन शामिल नहीं होने के कारण अवाई मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

7	TOK-257	दयाराम / दशरथ / टोंकी	पाईप लाईन अधिग्रहित करने बाबत्।	आवेदक को संशोधित एफ. आर.एल. कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 36 पर संयुक्त रूप से कृषि भूमि, फलदार वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 218106 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
8	TOK-156	छजजूलाल / मोहन / टोंकी	पाईप लाईन अधिग्रहित करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 46 पर संयुक्त रूप से मकान की मुआवजा राशि रु. 125639 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
9	TOK-211	अजय / हुकुमचंद / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा ग्राम का मूल निवासी होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए आवेदन निरस्त करने योग्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

10	TOK-348	धनुबाई / किशन / टोंकी	पुनर्वास अनुदान नहीं मिलने बाबत्।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 146 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया।	
11	TOK-149	लखमेंसिंह / धनसिंह / टोकी	ओंकारेश्वर परियोजना में अर्जन प्रकरण में कुएं की राशि नहीं मिलने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 49 पर मुआवजा राशि रु. 824130 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 83 कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक को शामिल कुए की मुआवजा राशि गणना पत्रक में शामिल कर रु. 88260 दी गई है। कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं.क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव अनुसार ही मुआवजा पत्रक में सम्पत्ति शामिल की जाती है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

12	TOK-176	भगवान / कन्हैयालाल / टोंकी	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 47 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 125639 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
13	TOK-91	नंदाबाई / बल्लू / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 34 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
14	TOK-221	धन्नालाल / शोभाराम / टोंकी	पाईप लाईन एवं 0.14 हे. भूमि अधिग्रहित करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 20 पर अर्जित भूमि की मुआवजा राशि रु. 42912 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन एवं 0.14 हे. भूमि शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

15	TOK-253	बनवट / चैनसिंह / टोंकी	पाईप लाईन अधिग्रहण करने बाबत ।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 44 पर संयुक्त रूप से भूमि, कुआं, फलदार,की मुआवजा राशि रु. 478196 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया ।	
16	TOK-179	बाबुसिंह / कालूसिंह / टोंकी	पाईप लाईन अधिगृहित करने बाबत ।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 58 पर अर्जित कृषि भूमि एवं वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 129757 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 49 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई ।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव अनुसार पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया ।	
17	TOK-245	लखमसिंह / भाऊसिंह / टोंकी	अर्जन कार्यवाही में सम्पत्ति को छोड़े जाने हेतु आपत्ति बाबत ।	आवेदक को संशोधित कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 50 पर अर्जित भूमि,मकान, कुआ, ट्यूब बोर, पाईप लाईन की मुआवजा राशि रु. 998175 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	—	आवेदक के नाम से अर्जित कृषि भूमि में ख.न. 207 एवं 212 आवेदक के नाम से दर्ज नहीं है ।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : **2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)**

18	TOK-219	जगदीश / गोकूलजी / टोंकी	पाईपलाईन अधिगृहित करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 99 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 5471 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 96 पर कृषक रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की पाईप लाईन शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
19	TOK-261	लखमसिंह / धनसिंह / टोंकी	ओंकारेश्वर बांध परियोजना अंतर्गत अर्जन प्रकरण में कुए की राशि नहीं मिलने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 67 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 309513 एवं संशोधित एफ. आर.एल.कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 49 पर भूमि, कुआं, मकान, फलदार वृक्ष, पाईप लाईन की मुआवजा राशि रु. 824130 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का पक्के कुए का अर्जन संशाधित एफ.आर. एल. कृषि के गणना पत्रक क्रमांक 49 पर अर्जन कर मुआवजा राशि रु. 68260 निर्धारित दरों पर भुगतान की गई है। आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	TOK-05	मनोहरसिंह / सीताराम / टोकी	मुआवजा बाबत्।	आवेदक को कृषिभूमि गणनापत्रक क्रं.102 शासन की निर्धारित दर अनुसार मुआवजा राशि 60,396/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रं. 19360 आदेश दिनांक 13.02.08 द्वारा कंडिका 9.1 की मांग की गई थी, जिसे अमान्य किया गया।	आवेदक का मकान कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं. 32 बड़वाह ने शासन के निर्धारित दर के आधार पर मूल्यांकन किया गया। यदि आवेदक मुआवजा राशि से असंतुष्ट था, तो उसे सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स याचिका प्रस्तुत करना था। इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
2	TOK-350	कलाबाई / दयाराम / टोकी	मआवजा कम मिलने बाबत्।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 31 पर भूमि कुआ, फलदार वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 690509 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव के अनुसार आवेदक की भूमि एवं सम्पत्तियों का अर्जन कर आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

3	TOK-04	कलाबाई / दयाराम / टोकी	मकान व पशुशेड का मुआवजा कम मिलने बाबत।	आवेदक को ग्राम टोकी बीडब्ल्यूएल गणना पत्रक क्रं. 05 पर कृषिभूमि एवं पशुशेड की मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दर के आधार पर राशि रु. 808/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। तथा एफआरएल पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.157 पर राशि रु.14,350/- एवं प्लॉट दिया जा चुका है।	--	आवेदक का मकान कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं. 32 बड़वाह ने शासन के निर्धारित दर के आधार पर मूल्यांकन किया गया। यदि आवेदक मुआवजा राशि से असंतुष्ट था, तो उसे सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स याचिका प्रस्तुत करना था। इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
---	--------	------------------------	--	---	----	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	TOK-234	रामप्रसाद / शंकर / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 145 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 22853 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 248 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
2	TOK-231	कमला / चैतराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 32 पर आ.भू. एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 88676 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 46 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास स्थल टोकी में 5400 वर्गफीट प्लाट आवंटित किया गया है।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 15167 आदेश दिनांक 27.10.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा जी.आर.ए. द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया। इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

3	TOK-233	गुलाबसिंग / भिलाजी / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
4	TOK-235	कैलाश / श्यामा / टोंकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 137 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 11498 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 241 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 81502 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास स्थल टोंकी में 5400 वर्गफीट का प्लॉट आवंटित किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

5	TOK-236	चेतराम / नरसिंग / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 32 पर आ.भूखण्ड मकान की मुआवजा राशि रु. 88676 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 46 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट प्लॉट आवंटित किया गया।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 18488 आदेश दिनांक 08.02.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य किया गया। पूर्ण पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
6	TOK-232	राधेश्याम / भुवानीराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक की माता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 15 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 86562 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 23 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

7	TOK-237	वसुदेव / भुवानीराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 पर मकान एवं भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 94695 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
8	TOK-230	सावित्रीबाई / भुवानीराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 15 पर आ.भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 86562 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 22 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं पुन. स्थल. टोकी में 5400 वर्गफीट भूखण्ड आवंटित किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

9	TOK-229	हेमराज / पन्नलाल / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 170 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 169606 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 271 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 169 पर उम्र 16 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
10	TOK-372	निर्भयसिंह / सीताराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 91 पर मुआवजा राशि रु. 75869 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 199 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
11	TOK-357	स्मृति राठौर / मोहनलाल / टोकी	मेरे धर का अर्जन करने बाबत।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र ग्राम रिझफल की निवासी होने का मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत किया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार :

7

पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

12	TOK-371	भारत / सीताराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक की माता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 51 पर मुआवजा राशि रु. 105398 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 81 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
13	Tok-238	हंशाबाई / रूपसिंह / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 269 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड उपलब्ध कराया गया।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

14	TOK-239	सुरेश / मंशाराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक की माता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 46200 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 221 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास स्थल टोंकी पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड आवंटित किया गया।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24361 आदेश दिनांक 18.06.09 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
15	TOK-240	मंजू / बादामसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
16	TOK-241	रानुबाई / बादामसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	जी.आर.ए. के मान्य आदेश अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 17565 आदेश दिनांक 19.08.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य किया गया। पूर्ण पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

17	TOK-242	बलवीर / बादामसिंह / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-	-	आवेदिका का नाम विवाहिता होने के कारण ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं होने एवं आवेदक द्वारा मूल निवासी संबंधी कोई प्रमाण नहीं लगया गया है। आवेदन निरस्त करने योग्य है।	
18	TOK-243	सुखदेव / जगदीश / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 53 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 3180 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 98 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई। आवेदक को पुनर्वास स्थल टोकी प्लाट न.62 आवंटित किया गया।	आवेदक को जी.आर.ए., प्रकरण क्र.27835 आदेश दिनांक 20.04.09 द्वारा भूखण्ड प्रदान करने हेतु आदेश का। पूर्ण पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

22	TOK-252	यसवन्त / रुखडूसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 73 पर संयुक्त रूप से मकान एवं आबादी भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 200449 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 125 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
23	TOK-25	उर्मिलाबाई / झाबरीया / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 141 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 24655 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका का नाम विवाहिता होने के कारण ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं किया गया। मतदाता परचिय पत्र अन्य ग्राम का है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

24	TOK-250	कमलाबाई / छितर / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्रों को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 73 पर संयुक्तरूप से मकान एवं आ. भू की मुआवजा राशि रु. 200449 एवं निर्धारित कर भुगतान की गई एवं कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक ओविदका के सुयुक्त खाते में भूमि, फलदार एवं पाईपलाईन का मुआवजा राशि रु. 282929 का भुगतान किया गया। आवेदिका के मुखिया पुत्र रूपसिंह को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 123 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई तथा प्लॉट न. 37 पुनर्वास स्थल टोकी में 5400 वर्गफीट प्रदान किया गया।	---	आवेदिका का नाम परिवार सूची में मुखिया पुत्र रूपसिंग के साथ आश्रित मां के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
25	TOK-251	ममताबाई / छितर / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 64 पर संयुक्त रूप से भूमि,फलदार, पाईपलाईनकी मुआवजा राशि रु. 82929 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	आवेदिका विवाहित होने से परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है। ग्राम टोकी में निवास होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

26	TOK-246	भारती / रामेश्वर / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 31 पर अर्जित भूमि की मुआवजा राशि रु. 147659 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 19657 आदेश दिनांक 11.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा जी.आर.ए. द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।	
27	TOK-192	सजनसिंह / श्रीराम / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 90 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 153806 एवं कृषि संशोधित एफ.आर.एल. मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर(संयुक्तरूप से) अर्जित भूमि का की मुआवजा राशि रु. 98239 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 197 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक द्वारा पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

28	TOK-199	विजय / शिवराम / टोकी	परिवासूची में पुनर्वास नीति की धार 1 अ एवं 1,ब के अन्तर्गत शामिल करने बाबत	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से आवेदन लगाया है।	
29	TOK-202	कंचनबाई / फुलचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका की माता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 45051 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 136 पर उम्र 15वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, आवेदिका अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियो द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

30	TOK-201	जोगेन्द्रसिंह / श्रीराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत् ।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 61 पर संयुक्त रूप से भूमि कुआ.फलदार के मद में की मुआवजा राशि रु. 198812 एवं संशोधित कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर संयुक्त रूप से भूमि के मद में की मुआवजा राशि रु. 98239 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 196 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई ।	–	आवेदक को 5400 वर्गफीट का प्लाट पुनर्वास स्थल पर आवंटित कर दिया गया है ।	
31	TOK-200	कुन्दन / काशिराम / टोकी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के तहत शेष राशि देने बाबत् ।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 27 पर अ. भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 6226 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 254 पर कृषक में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई ।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 19563 आदेश दिनांक 12.11.08 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया ।	–	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

32	TOK-198	श्रीराम / गंगाराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 61 पर सयुक्त रूप से भूमि कुंआ एवं फलदार की मुआवजा राशि रु. 198812 एवं संशोधित कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर सयुक्त रूप से भूमि की मुआवजा राशि रु. 98239 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 195 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक पुनर्वास्थल इनपुन में 5400 वर्गफीट का प्लॉट आवंटित कर दिया गया है।	
33	TOK-196	हुकुम / शंकर / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम टोकी की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 60 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान एवं भूखण्ड नहीं दिया जा सकता।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

34	TOK-204	धमेन्द्र / झाबरीया / टोकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 140 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 13072 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 242 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 99928 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24329आदेश दिनांक 08.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
35	TOK-193	दिलावर / जसवंतसिंह / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 92 पर आ.भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 44532 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 200 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

36	TOK-208	हुकुमचंद / मालाजी / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 239 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास स्थल टोकी पर भूखण्ड प्रदान किया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
37	TOK-191	बाबु / किशन / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 9 पर मकान एवं आ. भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 159645 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 11 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

38	TOK-190	राजेन्द्रसिंह / भगवानसिंह / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता का संयुक्त रूप से बी.डब्ल्यू.एल. कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 1 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 119161 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 122 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं 5400 वर्गफीट का प्लॉट आवंटित किया गया है।	—	आवेदक का टोकी पुनर्वास स्थल पर प्लॉट नम्बर 71, 5400 वर्गफीट का प्लॉट आवंटन किया गया है।	
39	TOK-189	कोमलसिंह / गंगाराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर आ. भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 55396 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 192 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक पुनर्वास स्थल इनपुन में 2400 वर्गफीट प्लॉट आवंटित कर दिया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

40	TOK-188	राजेन्द्रसहि / कोमलसिंह / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत। का	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 55396 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 194 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक द्वारा पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
41	TOK-187	रविन्द्र / जगदीश / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान धारा 04 के बाद बना होने से शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने उद्देश्य मकान बनाया है।	
42	TOK-317	कैलाश / लक्ष्मण / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 94 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

43	TOK-194	सुरेश / मंशाराम / टोकी	घर का मुआवजा राशि रु. 20000 से कम बनने पर पुन. नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 117 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 8406 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 221 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं कंडिका 7.1 की राशि के बदले पुनर्वास स्थल टोकी में भूखण्ड 5400 वर्गफीट आवंटित किया गया है।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24361 आदेश दिनांक 18.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	जी.आर.ए. के आदेश द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया।	
44	TOK-17	नानकराम / सुखराम / टोकी	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.17 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 66,181/- भुगतान की गई।	---	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र.23 पर आवेदक की उम्र 16 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है। आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

45	TOK-226	बालकराम / मंशाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 127 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 25709 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 232 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुन. स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट प्लॉट आवंटित किया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
46	TOK-224	महेश / रूपसिंग / टोकी	परिवार सूची में हपुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 269 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 7300 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड प्रदान किया गया।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 15674 आदेश दिनांक 27.10.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा जी.आर.ए. द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

47	TOK-223	विजय / तलसीराम / टोकी	परिवार सूची में हपुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 26 पर आ.भू.खण्ड. एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 29558 निर्धारित कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 36 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड प्रदान किया गया।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 15 पर विरेन्द्र उम्र 15 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
48	TOK-222	श्रीराम / सुखराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 63 पर आ.भू. एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 148375 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 102 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर राशि रु. 23700 भुगतान की गई एवं पुनर्वास स्थल टोकी पर प्लॉट क्र. 96 आवंटित किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

49	TOK-22	हूकुम / मुंशीलाल / ग्राम टोंकी	परिवारसूची में नाम शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को एफ.आर. एल. मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 124 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 68126 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 331 पर उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया ।	
50	TOK-218	बसंतीबाई / राजाराम / टोंकी	परिवार सूची में हपुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत् ।	आवेदक के पिता को बी.डब्ल्यू. एल.कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 6 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 153263 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया ।	
51	TOK-203	शंकर / फुलचंद / टोंकी	घर का मुआवजा 20000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत् ।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 131 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 14589 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 238 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 98411 स्वीकृत कर भुगतान की गई ।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24329 आदेश दिनांक 08.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया ।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है ।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

52	TOK-14/1	रुकमणीबाई / कन्हैयालाल / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.142 पर मकान की मुआवजा राशि 28,048/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 24313 आदेश दिनांक 12.11.2008 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र.145 पर आवेदिका की उम्र 16 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है। आवेदिका अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
53	TOK-227	समोतिबाई / धन्या / टोकी	पुनर्वास नीति की कांडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर अर्जित भूमि की मुआवजा राशि रु. 115508 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
54	TOK-18	रामभाऊ / जगदीश / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ) व (ब) के अन्तर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.10 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 45,791/- भुगतान की गई, एवं पिता को पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.16 पर राशि रु. 23,700/- स्वीकृत की गई, राशि 18,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	---	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र.09 पर आवेदक की उम्र 14 वर्ष नाती के रूप में दर्ज है। आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

55	TOK-216	बादामसिंह / भीलूसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 148 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 95869 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 251 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
56	TOK-215/3	भैय्यालाल / भिलाजी / टोंकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 110 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 8928 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 216 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं आवेदक को पुनर्वास स्थल टोंकी पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड प्रदान किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

57	TOK-215	सोहन / ऊंकार / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 92 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं आवेदक को भूखण्ड क्रमांक 68 टोकी पुनर्वास स्थल पर आवंटित किया गया।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 27833 आदेश दिनांक 24.04.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य किया गया। पूर्ण पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
58	TOK-214	राजू / फूलचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 132 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 16893 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 237 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 76107 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास स्थल टोकी पर 5400 वर्गफीट का प्लॉट आवंटित	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24330 आदेश दिनांक 08.06.09 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
59	TOK-213	राजू / फूलचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 225 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक द्वारा पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

60	TOK-217	ददु / मंशाराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 126 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 12406 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 231 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 100594 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24360 आदेश दिनांक 08.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
61	TOK-358	दिनेश / रूपसिंग / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण से स्वीकृत होने पर इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000 / भुगतान किया जाना संभव होगा।	
62	TOK303	पुजन / जगदीश / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 4 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

63	TOK-302	दुलीचंद / बाल्या / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 302 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास स्थल पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड आवंटित किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
64	TOK-343	महेन्द्र / अनोखीलाल / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 23495 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 28 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 19 पर उम्र 16 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
65	TOK-349	मायाबाई / किशन / टोंकी	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 146 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

66	TOK-35	तुकाराम / बनीया / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 21 पर मकान एवं भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 39412 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 26 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।		आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
67	TOK-351	भैयालाल / भिलाजी / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 216 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 84072 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
68	TOK-352	सावित्रीबाई / प्यारसिंह / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका के पति के नाम पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 70 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई जिसमें पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड के बदले राशिरु. 20000 भी भुगतान की गई है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 42 पर उम्र 65 वर्ष आश्रित पत्नी के रूप में दर्ज है, पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

69	Tok-315	दिनेश / लक्ष्मण / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 53 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	
70	TOK-356	पूनमचंद / केशवजी / टोंकी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवाजा व अनुदान राशि एव प्लाट प्रदाय करने बाबत।	—	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 16700 दिनांक 06.04.09 एवं 24326 दिनांक 06.04.10 तथा 24327 दिनांक 06.04.11 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

71	TOK-306	सुधीर / गटटू / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 5 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। कमाण्ड क्षेत्र के पुनर्वास स्थल पर 5400 वर्गफीट प्लॉट आवंटित किया गया।		आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 3 पर उम्र 11 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
72	TOK360	सालकराम / दयाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 94 पर मुआवजा राशि रु. 52393 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 203 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 110 पर उम्र 12 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

73	TOK-361	दिनेश / धुरसिंह / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् हे। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा.वि. प्राधिकरण से स्वीकृत होने पर इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000 / भुगतान किया जाना संभव होगा।	
74	TOK-301	गट्टू / बाल्या / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 5 पर को भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं कमाण्ड क्षेत्र पुनर्वास स्थल पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड उपलब्ध कराया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

75	TOK-300	पुनमचंद / केशवजी / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	—	—	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
76	Tok-30	लखन मंसोर / मुंशीलाल / टोकी	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 123 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 68126 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 131 पर उम्र 16 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

77	TOK-299	रायसिंग / नत्थू / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 491 पर आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 25 भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
78	TOK-298	पूनाबाई / राजाराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदिका द्वारा ग्राम की मूल निवासी होने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।	
79	TOK-355	मनोहर / विक्रमसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 103 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 116309 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 207 पर कृषक रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 113 पर उम्र 15 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

80	TOK-308	चिंता / नरसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 47 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं कमाण्ड क्षेत्र में 5400 वर्गफीट भूखण्ड उपलब्ध कराया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 73 पर उम्र 16 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
81	TOK-32	बीसनु / रेवाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 7 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
82	TOK-318	महेन्द्र / आनोखीलाल / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 150 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 21850 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 28 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 19 पर उम्र 16 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

83	TOK-195	जीवन / बुल्या / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 पर अ.भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 16923 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 20 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 730000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को कंडिका 7.1 5400 वर्गफीट का भूखण्ड आवंटित किया गया है। आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
84	TOK-316	दुलीचंद / फुलचंद / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 316 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं	—	आवेदक द्वारा पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 तहत कमाण्ड क्षेत्र के पुनर्वास स्थल पर भूखण्ड आवंटित किया गया है।	
85	TOK-186	काशीराम / मकुन्द / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 11 पर मकान, भूखण्ड, फलदार वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 53467 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 19 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 930000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

86	TOK-314	रमेश / लक्ष्मण / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 93 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन में भूखण्ड आवंटित कर दिया गया है।	
87	TOK-313	सकाराम / लल्लु / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 115 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 15156 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 219 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 97844 स्वीकृत कर भुगतान की गई। आवेदक को पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
88	TOK-304	राहुल / गट्टू / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 5 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 3 पर पिता के साथ उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

89	TOK-31	रेवाराम / गंगाराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 6 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
90	TOK-305	जगदीश / बाल्या / टोंकी	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 3 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास स्थल पर 5400 वर्गफीट भूखण्ड कमाण्ड क्षेत्र में आवंटित किया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
91	TOK-307	बाल्या / झबरीया / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 4 पर मकान की आ.भू. एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 16531 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 1 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में दी जाने वाली सभी कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

92	TOK-33	बमा / रेवाराम / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 06 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निधि की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 4 पर उम्र 13 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
93	TOK-335	बादामसिंह / भीलाजी / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत। भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 148 पर मकान एवं की मुआवजा राशि रु. 95869 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 291 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
94	TOK-338	दिनेश / बाबु / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 105 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 4549 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 209 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 88451 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

95	TOK-339	सीताराम / शोभाराम / टोंकी	अनुदान कम मिलेन बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 65 पर मकान एवं भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 140665 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 104 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
96	TOK-34	कमलेश / तुकाराम / टोंकी	परिवार सूची में नाम दर्ज करने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 21 पर भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 39412 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 17 पर उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
97	TOK-341	सुलोचनाबाई / रमेश / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र निवासी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

98	TOK-293	राजेश / नत्थू / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा ग्राम का निवासी होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
99	TOK-310	लोकेन्द्रसिंह / लखमेशिंह / टोकी	प्रभावित सूची में नाम दर्ज करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 72 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 43 पर उम्र 15 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
100	TOK-270	कमलाबाई / लक्ष्मण / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 5 पर भूमि एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 15172 निर्धारित कर भुगतान की गई। एवं आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 52 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदिका का नाम परिवार सूची के सरल क्रमांक 33 पर उम्र 60 वर्ष पति के साथ आश्रित पत्नी के रूप दर्ज है। आश्रित होने के कारण पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

101	TOK-297	नत्थू / रतन / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 224 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
102	TOK-278	दुर्गराम / भुवानीराम / टोंकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 108 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 10503 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 212 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 17173 आदेश दिनांक 04.12.08 एवं प्रकरण क्र. 24358 आदेश दिनांक 01.12.08 द्वारा कंडिका 9.1 एवं 7.2 की राशि रु. 58797 भुगतान कर पूर्ण पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
103	TOK-277	गुलाब / फूलचंद / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 129 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 26507 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 236 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

104	TOK-276	रुखमणी / फूलचंद / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 45051 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 234 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदिका द्वारा पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
105	TOK-275	सकराम / लल्लू / टोकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 115 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 15156 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 219 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 97844 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। जिसमें कंडिका 7.2 की राशि रु. 4844 का भी भुगतान की जा चुकी है।	
106	TOK-274	कैलाश / हीरालाल / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 188 पर आवेदक को कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन में फेस द्वितीय में भूखण्ड आवंटित किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

107	TOK-273	त्रिलोकचंद / हिरालाल / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन फेस द्वितीय पर भूखण्ड उपलब्ध कराया गया है।	
108	TOK-28	धर्मन्द्र खंडे / झबरीया / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 140 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 13072 निर्धारित कर भुगतान की गई	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण अनुदान की पात्रता नहीं है।	
109	TOK-271	बलराम / फुलचंद / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक माता को को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 45051 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 234 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 136 पर मुखिया मां के साथ उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
110	TOK-280	सुरेश / भिलाजी / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 134 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 93948 निर्धारित कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24347 आदेश दिनांक 29.01.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

111	TOK-27	जितेन्द्र खड़े / झबरिया खड़े / टोंकी	परिवार सूची में नाम दर्ज करने बाबत्	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 141 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 24655 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 144 पर उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया ।	
112	TOK-269	अर्जुन / लल्लू / टोंकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत् ।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 114 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 12223 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 218 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 100777 स्वीकृत कर भुगतान की गई । जिसमें कंडिका 7.2 की राशि रु. 7777 भुगतान कर दी गई है ।	—	आवेदक को कंडिका 7.2 की राशि 7777 रु. स्वीकृत कर भुगतान कर दी गई है ।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

113	TOK-264	वासुदेव / भुवानीराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 पर मकान एवं आबादी भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 94695 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया और आवेदक ने ग्राम का मूल निवासी होने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अनुदान की पात्रता नहीं है।	
114	ToK-263	सुरेश / मंशाराम / टोंकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 117 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 8406 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 221 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 16415 आदेश दिनांक 08.02.08 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया।	जी.आर.ए., कंडिका 7.2 आवेदन अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

115	TOK-259/1	लक्ष्मीबाई, मायाबाई / केशवपुरी / टोंकी	शिकायत निवारण प्राधिकरण में छूटी जमीन जोड़ने बाबत्।	आवेदिका के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 33 पर आवेदिका को संयुक्त खाते भूमि की मुआवजा राशि रु. 12986/- निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	आवेदिका द्वारा छूटी जमीन जोड़ने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदिका की समस्त भूमि 0.17 हैक्टर अर्जन कर ली गई है। जिसका मुआवजा भी भुगतान कर दिया गया है, अब कोई जमीन शेष नहीं है। आवेदन से आवेदिका की मंशा स्पष्ट नहीं है, कि वह क्या चाहती है। अगर आवेदिका जमीन के बदले जमीन चाहती है, तो वह जीआरए में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।	
116	TOK-259	वन्दना / रामेश्वर / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	-	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 19656आदेश दिनांक 11.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 62 पर उम्र 16 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, आवेदिका अव्यस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। एवं पुनर्वास आवेदन अव्यस्क होने से अमान्य किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

117	TOK-258	भारती / रामेश्वर / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 31 पर संयुक्त रूप से अर्जित भूमि की मुआवजा राशि रु. 147659 निर्धारित कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 19657 आदेश दिनांक 11.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा जी.आर.ए. द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।	
118	TOK-256	चंपालाल / सरवण / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया एवं आवेदक द्वारा ग्राम में निवासी होने संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
119	TOK-272	जीवनराम / बूलिया / टोकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 पर आबादी भूखण्ड ,मकान की मुआवजा राशि रु. 16923 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 20 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24328 आदेश दिनांक 01.12.08 द्वारा कंडिका 7.2 मान्य किया गया। पूर्ण पालन किया गया।	जी.आर.ए., आदेश का पालन करते हुए कंडिका 7.2 की राशि रु. 11878 भुगतान की गई। पूर्ण पालन किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

120	TOK-362	कलाबाई / गिरजाबाई / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के माता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 50,51 पर मुआवजा राशि रु. 201634, 98815 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 491 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93101 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र निवासी है।	
121	TOK-254	रायसिंग / कैलाशसिंह / टोंकी	अनुदान राशि देने बाबत एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 85 पर आबादी भूखण्ड मकान की मुआवजा राशि रु. 236425 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 173 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
122	TOK-292	महेश / रमेश / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 13 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार :** **7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

123	TOK-291	सुमनबाई / लक्ष्मण / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 63 पर संयुक्त खाते में अर्जित भूमि का मुआवजा राशि रु. 16764 निर्धारित कर भुगतान की गई	—	आवेदिका का नाम विवाहिता होने के कारण ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं किया गया ग्राम में निवासरत् नहीं।	
124	TOK-29	मुंशी / गंगाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 123 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 68126 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 229 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

125 TOK-289	राजकुमार / रामुजी / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक अतिक्रमित की श्रेणी में आने से भूखण्ड की पात्रता नहीं है।
-------------	------------------------------	--	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

126	TOK-288	श्यामराव / मंशाराम / टोकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदिका के पति को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 138 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 7557 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 273 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 85443 स्वीकृत कर भुगतान की गई। जिसमें कंडिका 7.2 की राशि रु. 12443 भी शामिल है।	—	आवेदिका को पुनर्वास नीति की कंडिका कंडिका 7.2 की राशि रु. 12443 भुगतान किया जा चुका है।	
127	TOK-286	चेतराम / तोताराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेण अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 154 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 76950 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 257 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

128	TOK-279	रमेश / चम्पालाल / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 104 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 28707 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 208 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
129	TOK284	विजय / तुलसीराम / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
130	TOK-295	ताराबाई / शोभाराम / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के मुखिया पुत्र को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 100 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 27491 आदेश दिनांक 10.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदिका का नाम परिवार सूची के स.क्र. 59 पर मुखिया पुत्र के साथ आश्रित के रूप में उम्र 71 वर्ष दर्ज है एवं जी.आर.ए. द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

131	TOK-363	संतोष / जगदीश / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर मुआवजा राशि रु. 110633 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 214 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
-----	---------	----------------------	---	--	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

133	TOK-365	सुरेश / मंशाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक मां को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 पर मुआवजा राशि रु. 46200 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 221 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लेट दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
134	TOK-366	बलराम / फूलचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक मां को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर मुआवजा राशि रु. 45091 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 234 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 136 पर उम्र 14 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जांच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

135	TOK-367	रामेश्वर / छगन / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। एवं आवेदक का नाम ग्राम की मुआवजा गणना पत्र से संबंधित रिकार्ड में नाम सं संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है। आवेदक का धारा 04 के पूर्व निवासरत् होना नहीं पाया गया।	
136	TOK-283	रमेश / बाबू / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 12 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

137	TOK-282	सीताराम / बुधन / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 135 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 83031 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 240 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। पुनर्वास स्थल पर भूखण्ड दिया जा चुका है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
138	TOK-281	कृ. बसू / कैलाश / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 272 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 170 पर उम्र 17 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, आवेदिका अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
139	TOK-285	दिलिप / चेताराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 257 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 155 पर उम्र 12 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

140	TOK-50	अर्जुन / देवा / टोकी	मेरे धर का अर्जन करने बाबत्	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
141	TOK-146	राधेश्याम / राजाराम / टोकी	घर का मुआवजा 25,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक के पिता को संयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 7 पर की मुआवजा राशि रु. 808 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 160 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक का मकान कृषि भूमि में कृषि उपयोग हेतु होने से कंडिका 7.2 के अनुदान की पात्रता नहीं आती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

142	TOK-147	महोबतसिंह / शंकर / टोकी	मआवाज प्रकरण क्रमांक 13अ-82 /06-07 में खातेदारों का नाम संशोधित करने बाबत्।	आवेदक का संयुक्त खाते में कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 6 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 153263 निर्धारित कर भुगतान प्रस्ताव अनुसार खसरे में दर्ज नाम से भुगतान किया गया है।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव के अनुसार ही आवेदकों के नाम मुआवजा मुआवजा गणनापत्रक में दर्ज किये गये है। अवाई में दर्ज नामों को संशोधित कार्यालय से संबंधित नहीं है। कार्यालय तहसीलदार पुनासा से सम्पर्क किया जाना उचित है।	
143	TOK-109	महेश / नरसिंग / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 160 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 43642 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 261 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

144	TOK-197	राजेन्द्र / काशिराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धार 1(अ) एवं 1(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 149 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 25990 निर्धारित कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 253 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 152 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
-----	---------	-------------------------------	--	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

145	TOK-121	सुधाबाई / गुन्देसिंह / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
-----	---------	-----------------------------	---	-----	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

146	TOK-120	किशोर / चौकसिंग मरे घर का भूअज्ञन / टोकी	करने बाबत्।	---	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 24386 दिनांक 29.12.द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
-----	---------	--	-------------	-----	--	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

147 TOK-119	मीनाबाई / पूजनबाई / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।
-------------	--------------------------	--	-----	-----	---

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनुर्वस नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनुर्वस सबंधी की गई मांग एवं शिकायत

148	TOK-43	डोंगर / रामाजी / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
149	TOK-44	सुनिता / शंकर / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदिका का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
150	TOK-45	मजूबाई / शंकर / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

151	TOK-46	संतोष / शंकर / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।
-----	--------	---------------------	-----------------------------	---	---	--

152	TOK-47	जगदीश / शंकर / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।
-----	--------	---------------------	-----------------------------	---	---	--

153	TOK-61	संतोष / बालू / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।
-----	--------	---------------------	-----------------------------	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

154	TOK-49	खुश्याल / रामाजी / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	-	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 24319 दिनांक 06.04.06 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
-----	--------	--------------------------	-----------------------------	---	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

155 TOK-140	ममताबाई / छितरसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 66 पर मुआवजा राशि रु. 82929 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका के भाई को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 123 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र निवासी है।	
-------------	---------------------------	---	---	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

156	TOK-51	अमरसिंह / हीरालाल / टोकी	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
157	TOK-52	उमराव / हिरालाल / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

158	TOK-53	कैलाश / हिरालाल मेरे घर का भूअर्जन / टोंकी	करने बाबत् ।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्वाड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया ।	
159	TOK-93	सोयमबाई / भाईलाल / टोंकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत् ।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अर्वाड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया ।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

160	TOK-54	घापूबाई / बेवा हिरालाल / टोंकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	-	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 27514 दिनांक 06.04.09 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
161	TOK-56	मंशाराम / नाना / टोंकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। (आवेदक मृत है)	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार :** **7** **पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

162	TOK-57	भाईलाल / शिवलाल / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्	-	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 14951 दिनांक 27.10.06 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
-----	--------	------------------------	-------------------------------	---	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

165	TOK-59	पंडू / देवा / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
166	TOK-60	चैतराम / खुशयाल / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
167	TOK-97	चुन्नीलाल / रामचंद्र / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। ग्राम में निवास संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियो द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

168	TOK-48	रमेश / ओंकार / टोकी	मेरे घर का अर्जन करन बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्रि नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
-----	--------	---------------------	-----------------------------	---	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

169	TOK-124 गणपत / खुशिराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	-	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
-----	-------------------------------	--	---	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार :** **7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

170	TOK-94	प्रेम / मांगीलाल / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
171	TOK-92	भूरा / गोविंद / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 24 पर मुआवजा राशि रु. 28718 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 33 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 24 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

172	TOK-90	करण / कोमल / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के दादा को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 25 पर मुआवजा राशि रु. 33582 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 35 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	-	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 25 पर उम्र 10 वर्ष नाति के रूप में दर्ज है, आवेदिका अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
173	TOK-89	राजू / कोमल / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 25 पर मुआवजा राशि रु. 33582 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 35 पर कृषि के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई तथा पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	-	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 25 पर उम्र 12 वर्ष नाती के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

176	TOK-87	मनोजसिंह / जगदीशसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 53 पर मुआवजा राशि रु. 3180 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 45 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई, पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 29 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
177	TOK-86	सुमन / कालुसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को संशो. कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 16 पर मुआवजा राशि रु. 151009 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदिका के द्वारा मूल निवासी होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
178	TOK-82	बालकराम / शिवराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया एवं इस नाम से अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक भी ग्राम में शामिल नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

183	TOK-123	चेनसिंग / फिरती / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेण अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग का प्रावधान नहीं है।	
184	TOK-145	बेबीबाई / राजाराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिको को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 6 पर संयुक्त खाते में मुआवजा राशि रू. 153263 निर्धारित कर भुगतान की गई।	---	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र निवासी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार :** **7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

185	TOK-125	भागचंद / मुन्ना / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
-----	---------	------------------------	--	-----	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

187	TOK-78	सोनू / ईसमईल / टोंकी	मेरे मकान का अर्जन करने बाबत एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 24374 दिनांक 29.12.09 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा एवं आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया	
-----	--------	----------------------	---	---	--	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

194	TOK-137	यसवंत / रूखडू / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 66 पर संयुक्त रूप से मुआवजा राशि रु. 82929 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया एवं आवेदक द्वारा ग्राम का मूल निवासी होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।	
195	TOK-138	कमलाबाई / छितर / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 66 पर मुआवजा राशि रु. 82929 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 123 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 72 पर उम्र 75 वर्ष पुत्र के साथ आश्रित मां के रूप में दर्ज होने से आवेदिका को पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

196	TOK-139	सलताबाई / छितरसिंह / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 66 पर मुआवजा राशि रु. 82929 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका के भाई को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 123 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में विवाहित होने के कारण शामिल नहीं किया गया। अन्यत्र निवासी है।	
197	TOK110	संजय / महेश / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेण अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 261 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
198	TOK-79	नंदराम / रमेश / टोकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्रि नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

199	TOK-165	गजानंद / सुखराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 98 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 397 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 115 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर राशि रु. 38700 भुगतान की गई। शेष राशि रु. 5000 / विस्थापन के पश्चात् दिया जावेगा।	—	आवेदक द्वारा पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
200	TOK-157	लाड़की बाई / गोकूल / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 90 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 52 पर उम्र 65 वर्ष आश्रित मां के रूप में दर्ज है, आवेदिका आश्रित होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

201	TOK-170	हेमराज / मकुन्द / टोकी	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये कव विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 12 पर भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 51035 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 18 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं कव लाभ दिया जा चुका है।	
202	TOK-169	अहिलाबाई / मुकन्द / टोकी	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये कव विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका के पुत्र को को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 12 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 51035 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 17 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7** **पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

204	TOK-115	रामा / शिवलाल / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	---	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 14976 दिनांक 10.06.09 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक अतिक्रमणकर्ता की श्रेणी में है। सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय न.घा.वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/की स्वीकृति के अनुसार राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
-----	---------	----------------------	-----------------------------	-----	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

205	TOK-116	अरविंद / लालसाहाब / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेण अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेण अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
-----	---------	-----------------------------	---	-----	-----	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

206	TOK-148	कलाबाई / धनालाल / टोकी	ओंकारेश्वर बांध परियोजना में अर्जन की गयी सम्पत्ति के संबंध में। महेश्वर परियोजना अंतर्गत पुनर्वास स्थलों में प्लाट आवंटित करने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा की गई मांग कार्यालय के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वास स्थलों पर ही भूखण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है।	
207	TOK-151	रामजीवन / कैलाश / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेय अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 266 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
208	TOK-168	चंपालाल / श्रवण / टोकी	मेरे मकान का भू-अर्जन करने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान धारा 04 के बाद बना होने से शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

213 TOK-164	अजुध्याबाई / कन्हैया / टोकी	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत्	आवेदिका के पुत्र का पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 109 पर राशि रु. 43700 स्वीकृत किया गया है। आवेदिका के नाम से ग्राम घोघलगांव में आबादी में मकान का मुआवज गणना पत्रक क्रमांक 21 पर राशि रु. 1,91965 भुगतान किया गया है।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 15055आदेश दिनांक 27. 10.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 66 पर बेटे के साथ मां के रूप में उम्र 72 वर्ष दर्ज हे। आश्रित होने से पात्रता नहीं है। आवेदिका ग्राम टोकी में निवास करती है। अतः ग्राम टोकी में परिवार सूची बनाई गई है।
214 TOK-160	गुलाबचंद / फूलचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषय अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 36 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई जिसमें पुनर्वास नीति की कंडिका 7. 1 के तहत भू-खण्ड के बदले राशि रु. 20000 भी शामिल है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

215	TOK-159	टिकाराम / मोजीलाल / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 184 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
216	TOK-153	भैयालाल / भिलाजी / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 216 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 84072 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
217	TOK-154	धर्मेन्द्र / — / टोंकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	—	—	आवेदन अपूर्ण है कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है। जानकारी अधूरी है धर्मेन्द्र नाम से ग्राम में तीन व्यक्ति हैं जिन्हें भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

218	TOK-155	कैलाश / भिलाजी / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है एवं आवेदन के साथ मूल निवासी संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	
219	TOK-117	लालसिंग / सबदु / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	

220 t / /

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

224	TOK-63	लक्ष्मीबाई / गंगाराम / टोकी	अनुदान प्लॉट देने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 55 पर मुआवजा राशि रु. 98239 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 192 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखण्ड की पात्रता नहीं है। पुत्र को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
-----	--------	-----------------------------	-------------------------	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

225	TOK-64	कलाबाई / लखन / करोली	जमीन के बदले जमीन एवं न्यूनतम 2 हे.।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 02 पर कृषि भूमि पुनर्वास स्थल हेतु विस्थापितों को बसाने हेतु अर्जित की है जिसका मुआवजा राशि रु. 184226 निर्धारित कर भुगतान की गई।	--	आवेदिका द्वारा भूमि के बदले भूमि का आवेदन पत्र मा. अध्यक्ष एवं सदस्य शिकायत निवारण प्राधिकरण के नाम से प्रस्तुत किया है जो कि उपरोक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना था। आवेदिका की भूमि पुनर्वास स्थल विकसित करने एवं विस्थापितों को बसाने हेतु अर्जित की है जो डूब में नहीं आती है। आवेदिका विस्थापितों की श्रेणी में नहीं आता है। अतः भूमि के बदले भूमि की पात्रता नहीं है।	
226	TOK-183	रुखमणी / फुलचंद / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 130 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 45051 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 234 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदिका को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

229	TOK-67	छतरसिंग / हिरा / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
230	TOK-181	शंकर / रेवाराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 161 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 31307 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 262 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

233	TOK-174	जसवंत / हरिकिशन / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 118 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 24916 निर्धारित कर भुगतान की गई। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 222 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
234	TOK-70	जगदीश / कालीचरण / टोंकी	मेरे घर के मकान का अर्जन करने बाबत एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	—	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 14976 दिनांक 27.10.06 एवं 28795 दिनांक 25.11.08 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

235	TOK-76	देवीलाल / कुलपत / टोंकी	मेरे मकान का अर्जन करने एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 78834 दिनांक 25.11.08 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के पधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा एवं आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया	
-----	--------	----------------------------	---	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

236	TOK-111	दीनेश / नरसिंह / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 159 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 44236 निर्धारित कर भुगतान की गई आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 260 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
-----	---------	-----------------------	---	---	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

240	TOK-172	चेतराम / नरसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि आबादी गणना पत्रक क्रमांक 32 पर भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 88676 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 46 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं कव लाभ दिया जा चुका है।	
241	TOK-75	निकेश / किशर / टोंकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत् एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया एवं आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

1	TOK-342	कैलाश / हीरालाल / टोंकी	प्लाट को आबादी में घोषित कराने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 94 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 294425 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 188 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान कृषि में शामिल होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में तदनुसार शामिल किया गया।	
2	TOK-354	सीताराम पटेल एवं अन्य / — / टोंकी	अतिक्रमण हटाने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा की गई मांग कार्यालय से संबंधित नहीं है।	
3	TOK-346	कोमलसिंह / मांगीलाल / टोंकी	जमीन अर्जन करने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 45 पर भूमि एवं कुएं की मुआवजा राशि रु. 189976 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 75 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7. 1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव अनुसार आवेदक की भूमि का अर्जन कर मुआवजा भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

4	TOK-345	विक्रम / सीताराम / टोकी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा एवं अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 103 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 116309 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 207 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक की पत्नी का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 113 पर हरूबाइ उम्र 35 पत्नी आश्रित रूप से एवं मनोहर सिंह 15 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
5	TOK-105	बाबू / लक्ष्मण / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

6	TOK-353	सीताराम / शोभाराम / टोकी	भूमि के बदले नगद राशि प्रदान करने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 65 पर मकान एवं आबादी भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 140665 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 104 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया। शासन द्वारा भूमि के बदले नगद राशि संबंधी आदेश पारित नहीं किया गया है।	
---	---------	--------------------------	--	---	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

8	TOK-65	पूनम / सडिया / करोली	जमीन के बदले जमीन एवं न्यूनतम 2 हे. देने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रके क्रमांक 3 पर पुनर्वास स्थल हेतु विस्थापितो को बसाने हेतु अर्जित की है जिसका मुआवजा राशि रु. 178052 भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूमि के बदले भूमि का आवेदन पत्र मा. अध्यक्ष एवं सदस्य शिकायत निवारण प्राधिकरण के नाम से प्रस्तुत किया है जो कि उपरोक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना था। आवेदक की भूमि पुनर्वास स्थल विकसित करने एवं विस्थापितों को बसाने हेतु अर्जित की है जो डूब में नहीं आती है। आवेदक विस्थापितों की श्रेणी में नहीं आता है। अतः भूमि के बदले भूमि की पात्रता नहीं है।	
9	TOK-260	कलाबाई / धनसिंह / टोंकी	ओंकारेश्वर बांध परियोजना मे अर्जन एवं प्लाट आवंटित करने बाबत्।	आवेदिको को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 34 पर पुत्र के संरक्षक के रूप में अर्जित भूमि, फलदार वृक्ष की मुआवजा राशि रु. 224909 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 82 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदिका द्वारा महेश्वर परियोजना के अंतर्गत ग्राम पिपलगौन लोंदी तथा अन्य पुनर्वास स्थलों पर भूखण्ड की मांग की है। कमाण्ड क्षेत्र के पुनर्वास स्थलों पर मांग करने पर भूखण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

10	TOK-68	राहुल / जगदीश / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	—	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
----	--------	----------------------	-----------------------------	--	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियो द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

11	TOK-265	अरविंद / लालसाहाब / टोंकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
12	TOK-336	बलवीर / बदामसिंह / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 252 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पुनर्वास निती की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

13	TOK-266	राजेन्द्र / काशीराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 149 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 25990 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 253 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 152 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
14	TOK-267	शालकराम / दयाराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 94 पर आबादी भूखण्ड मकान की मुआवजा राशि रु. 52393 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 203 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 110 पर उम्र 12 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

15	TOK-69	सलमा / जगदीश / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत एवं भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदिका का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया एवं आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
----	--------	---------------------	---	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियो द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

16	TOK-71	दिलकर / कालीचरण / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	----	----	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रू. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया	
----	--------	------------------------	--------------------------------	------	------	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : टोकी							
आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग							
17	TOK-294	स्मृति / मोहनलाल / टोकी	मेरे मकान का अर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदिका का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। अन्यत्र ग्राम रिझफल का मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक निरस्त करने योग्य है।	
18	TOK-370	गजराजसिंह / मोतेसिंह / टोकी	जमीन के बदले विशेष पैकज दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 12 पर मुआवजा राशि रु. 362827 निर्धारित कर भुगतान की गई	---	आवेदक द्वारा की गई मांग जमीन के बदले विशेष पैकज दिये का प्रावधान वर्तमान में नहीं है।	
19	TOK-103	चंदू / चैनसिंग / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवारड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
20	TOK-373	सीताराम एवं अन्य / शोभाराम / टोकी	डी.पी. लगाई जाने बाबत्।	---	---	आवेदन एम.पी.ई.बी. से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

29	TOK-37	रइरीबाई / स्व. शंकर / टोकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्रि नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान धारा 04 के बाद बना होने से शामिल नहीं होने के कारण अवाई मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदिका द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य एवं भूअर्जन के प्रावधानों को विफल करने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाने से भूअर्जन प्रक्रिया से पृथक किया गया। आवेदिका द्वारा ग्राम कामनखेड़ा का परिचय पत्र प्रस्तुत किया गया है।	
----	--------	----------------------------	--------------------------------	---	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

32	TOK-369	मंजुबाई / उदयसिंह / टोकी	अनुदान राशि एवं प्लॉट दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान की एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
33	TOK368	अरविन्द / लालसाहाब / टोकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	-	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

34	TOK-42	शोभाराम / चैनसिंह / टोकी	मेरे घर कव भू-अर्जन करने बाबत् ।	-	-	कार्यपालन यंत्रि नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने उद्देश्य मकान बनाया है।	
35	TOK-10	नर्मदाबाई / गोविन्द / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	आवेदक के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.24 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 28,718/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.33 पर राशि रु.23,700/- स्वीकृत की गई, राशि 18,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा ।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

36	TOK-06	तुलाराम / कोमल / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्र क्र.158 पर मकान की मुआवजा राशि 29,953/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.259 पर राशि रु. 23,700/- स्वीकृत की गई, राशि 18,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
37	TOK-255	राजेश / नत्थू / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं.32 बडवाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए अवार्ड में शामिल नहीं किया गया, एवं आवेदक ने मूलनिवासी होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

38	TOK-24	झबरिया / दयाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.161 पर मकान की मुआवजा राशि 31,307/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.262 पर राशि रु. 43,700/- स्वीकृत की गई, राशि 38,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
39	TOK-23	शंकर / रेवाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.161 पर मकान की मुआवजा राशि 31,307/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.262 पर राशि रु. 43,700/- स्वीकृत की गई, राशि 38,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी **आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

40	TOK-20	भूरीबाई / जगदीश / टोंकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका के पति के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.10 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 45,791/- भुगतान की गई।	--	आवेदिका के पति को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है, एवं परिवार में पति को पुनर्वास नीति की कंडिका का लाभ दिये जाने के कारण पत्नी को पात्रता नहीं आती है।	
41	TOK-16	मेकराम / सुखराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.22 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 47,833/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.27 पर राशि रु.23,700/- स्वीकृत की गई, राशि 18,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

42	TOK-15	यशवंत / किशोर / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.08 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 28,767/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.10 पर राशि रू.43,700/- स्वीकृत की गई, राशि 37,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रूपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
43	TOK-13	दिलीप / मयाराम / टोकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

46	TOK-329	राजू / शेरू / टोंकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक की मां को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 270 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 16701 आदेश दिनांक 08.01.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 168 पर उम्र 17 वर्ष पुत्र के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
47	TOK-09	लालू / चम्पालाल / टोंकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.152 पर मकान की मुआवजा राशि 23,700/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.256 पर राशि रु. 93,000/- स्वीकृत की गई, राशि 88,000/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
48	TOK-143	केशरेशिंह एवं अन्य / - / टोंकी	टोकी पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं मिलने बाबत्।	-	-	पुनर्वास स्थल टोंकी पर मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही संचालित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

49	TOK-220	भगवानसिंह / सीताराम / टोकी	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 120 पर अर्जित भूमि, कुआं, फलदार, पाइप लाईन मकान की मुआवजा राशि रु. 525273 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 120 पर कृषक के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक की भूमि शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
50	TOK-225	नरेन्द्रसिंह / शेरसिंह / टोकी	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अन्तर्गत टापू में आने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 76 पर भूमि, कुआं, फलदार एवं पाइप लाईन की मुआवजा राशि रु. 487069 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा सत्रेक्षण के दौरान यदि टापू बनता है एवं भू-अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अर्जन किया जाना संभव है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : **8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

51	TOK-129	बाबू / हरचंद / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया एवं आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
----	---------	------------------------	--	-----	-----	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

52	TOK-128 रघुनाथ / बाबू / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
----	------------------------------	--	-----	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

53	TOK-127	खुशीलाल / गोपी / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12/934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक द्वारा की गई मांग भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान का प्रावधान नहीं है।	
----	---------	-----------------------	--	-----	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

54	TOK-08	राकेश / लालू / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.151 पर मकान की मुआवजा राशि 38,714/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.255 पर राशि रू. 93,000/- स्वीकृत की गई, राशि 88,000/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
55	TOK-12	समोतीबाई / बल्लू / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.162 पर मकान की मुआवजा राशि 17,954/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.263 पर राशि रू. 95,046/- स्वीकृत की गई, राशि 90,046/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोंकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

56	TOK-324	महेश / रमेश / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 13 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
57	TOK-135	नीलाबाई / भीमा / टोंकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.108 पर मुआवजा राशि 10,503/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.212 पर कृषक के रूप में राशि रु.43,700/- स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	---	आवेदक को शासन की निर्धारित दर के आधार पर मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है।	
58	TOK205	कड़वाजी / धन्या / टोंकी	मेर घर का भू अर्जन करने बाबत्	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर अर्जित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रु. 115508 निर्धारित कर भुगतान की गई।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

59	TOK-41	गुलाबचंद पिता परसराम / परसराम / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
60	TOK-209	सुखराम / धन्नलाल / टोंकी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर अर्जित भूमि की मुआवजा राशि रु. 115508 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार :

8

डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

61	TOK-210	पुनमचंद / - / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्	-	जी.आर.ए. के प्रकरण क्रमांक 16700 दिनांक 06.04.09 एवं 24326 दिनांक 06.04.10 तथा 24327 दिनांक 06.04.11 द्वारा मकान अर्जन का आवेदन अमान्य किया गया ।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू. अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
62	TOK-212	शंकर / हिराजी / टोकी	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धार 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 147 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 11403 निर्धारित कर भुगतान की गई ।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24357 आदेश दिनांक 06.12.08 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य किया गया।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज न होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया तथा जी.आर.ए. द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

63	TOK-320	रामई बाई / मंशाराम / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विषेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 136 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 46200 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 220 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। एवं आवेदिका को पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदक को मुआवजा राशि शासन की निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	
64	TOK-321	रीनू / मंशाराम / टोकी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका की माता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 46200 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 220 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 73000 स्वीकृत कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास निति की कंडिका 7.1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 125 पर उम्र 11 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, आवेदक अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	--	--	------------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

65	TOK-26	दिनेश / छोगालाल / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.276 पर राशि रु. 93,000/- स्वीकृत की गई, राशि 88,000/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
66	TOK-323	हुकुमसिंह / गंगाराम / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 198 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 14350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	-	पुनर्वास नीति की कंडिका 7. 1 के तहत भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

67	TOK-19	अनोखीबाई / किशोर / टोंकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका के पुत्र के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.10 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 45,791/- भुगतान की गई। आवेदिका के नाम पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.15 पर राशि रु.43,700/- स्वीकृत की गई, राशि 38,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
68	TOK-325	कुन्दन / काशीराम / टोंकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि आबादी गणना पत्रक क्रमांक 27 पर आ. भूखण्ड एवं मकान की मुआवजा राशि रु. 6226 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 254 पर कृषक के रूप में राशि रु. 23700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 24353 आदेश दिनांक 12.11.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक का आवेदन जी.आर.ए., प्रकरण क्र.24353 आदेश दिनांक 12.11.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया। पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

69	TOK-326	चिन्ताराम / लल्लू / टोकी	भूमिहीन परिवार में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 217 पर भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 95716 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
70	TOK-319	विजय / — / टोकी	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा आवेदन में पिता एवं ग्राम के मूल निवासी संबंधित तथा अन्य किसी भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया है। आवेदन पर विचार करना संभव नहीं।	
71	TOK-311	किशन / मांगीलाल / टोकी	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर का अधिग्रहण करने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
72	TOK-99	ठाकरिया / शिवलाल / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

75	TOK-328	बसंत / धन्नालाल / टोकी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा एवं अनुदान राशि प्लॉट प्रदान करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 19 पर भूमि की मुआवजा राशि रु. 115508 निर्धारित कर भुगतान की गई।	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया। ग्राम का मूल निवासी से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।	
76	TOK-322	निलाबाई / भीमा / टोकी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदिका को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 107 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 29560 निर्धारित कर भुगतान की गई एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 211 पर भूमिहिन कृषि मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	-	आवेदिका को पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 भू-खण्ड के बदले नगद राशि रु. 20000 भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

77	TOK-39	गोपाल / चैनसिंह / टोकी	मेरे घर कव भू-अर्जन करने बाबत्।	-	जी.आर.ए., प्रकरण क्र. 27509 आदेश दिनांक 06.04.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया।	आवेदक द्वारा मुआवजा एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से धारा 04 के बाद मकान बनाकर अतिक्रमण कर निवासरत् है। आवेदक के सहमति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यालय न.घा. वि. प्राधिकरण के प.क्र. 156/न.घा.वि.प्रा./पुन./भू.अ./12 /934 भोपाल दिनांक 30.08.12 के अनुसार इंदिरा आवास योजना समान राशि रु. 45000/ स्वीकृत की गई है, बैंक खाता प्रस्तुत करने एवं मकान तोड़ने पर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	
78	TOK-331	मोहन / नरसिंह / टोकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

82	TOK-21	किशोर / गोपाल / टोंकी	अनुदान राशि बढ़ाकर दी जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र.07 पर मकान एवं भूखंड की मुआवजा राशि 51,954/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्रं.09 पर राशि रु.23,700/- स्वीकृत की गई, राशि 18,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रूपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
83	TOK-337	पुनिबाई / शोभाराम / टोंकी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि.सं. क्र. 32, बडवाह द्वारा प्रस्तुत भूअर्जन प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं होने के कारण अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक में शामिल नहीं किया गया।	
84	TOK-2	धर्मन्द्रसिंह / प्रेमसिंह / टोंकी	नौकरी बाबत्।	---	---	आवेदक द्वारा नौकरी बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुआवजा एवं अनुदान से संबंधित नहीं होने के कारण आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

86	TOK-07	दिलीप / गोविन्द / टोकी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र.157 पर मकान की मुआवजा राशि 65,234/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.258 पर राशि रु. 43,700/- स्वीकृत की गई, राशि 38,700/- का भुगतान किया जा चुका है। राशि रुपये 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
----	--------	------------------------	---	---	----	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : टोकी आवेदन पत्र का प्रकार : 9 अन्य

1	TOK-1	दयाराम / दशरथ / टोकी	शेष भूमि का अर्जन करने बाबत्।	संशोधित एफआरएल के गणनापत्रक क्रं.36 अनुसार मुआवजा राशि 2,18,106/- एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 78,175/- भुगतान की गई।	---	आवेदक द्वारा शेष भूमि के अर्जन की मांग की गई है। उक्त शेष भूमि डूब क्षेत्र के बाहर है। प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं. 32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
2	TOK-3	धर्मेन्द्रसिंह / प्रेमसिंह / टोकी	शेष बची भूमि का मुआवजा देने बाबत्।	संशोधित एफआरएल गणनापत्रक क्रं.08 के अनुसार मुआवजा राशि रु.93,336/- एवं वि.पु.अनु.राशि रु. 25,868/- भुगतान किया गया।	---	आवेदक द्वारा चैनसिंह की संयुक्त खाते की शेष भूमि का अर्जन संबंधी मांग की गई है, जो ओंकारेश्वर परियोजना के डूबक्षेत्र से बाहर की भूमि है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
3	Tok-207	धनश्याम राठोर / गोविंद / टोकी	सिंगाजी ताप में विद्युत परियोजना में नौकरी देने बाबत्।	-	-	आवेदक का आवेदन डूब/पुनर्वास संबंधित शिकायत से संबंधित नहीं है।	